चीन लोक गणराज्य की सरकार
और
भारत गणराज्य की सरकार
के बीच
चीन-भारत सीमा प्रश्न हल करने के लिए राजनीतिक
मानदंडों और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर करार

चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद दो पक्ष कहा गया है);

यह मानते हुए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांतों, आपसी सम्मान और एक दूसरे की चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति समझ और समानता के आधार पर दीर्घावधिक सकारात्मक और सहयोगी भागीदारी भारत और चीन के लोगों के मौलिक हित में है ;

उचित न्यायसंगत और आपसी रूप से सहमत तरीकों से सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करते हुए सभी स्तरों और क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक संवर्द्धन करने की इच्छा से ;

चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अमन चैन बनाए रखने पर 7 सितंबर,1993 को संपन्न करार और भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों पर 29 नवंबर,1996 को संपन्न करार के पालन और कार्यान्वयन की वचनबद्धता को दोहराते हुए;

चीन और भारत के बीच 23 जून, 2003 को संपन्न संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों की घोषणा की पुन: पुष्टि करते हुए;

यह स्मरण करते हुए कि दोनों प्रतिनिधि ने चीन-भारत सीमा प्रश्न के हल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधी और मैत्रीपूर्ण,सहयोगी और सकारात्मक वातावरण के लिए दो विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है ;

यह ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष अपने समग्र और दीर्घावधिक हितों के परिप्रेक्ष्य में सीमा प्रश्न का राजनीतिक हल तलाश रहे हैं ;

यह स्वीकार करते हुए कि सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान से दोनों देशों के मूल हित आगे बढ़ेगें और इसलिए इसको सामरिक महत्व दिया जाना चाहिए;

सीमा निर्धारण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर सहमत हुए है ;

अनुच्छेद-एक

सीमा प्रश्न पर मतभेदों से द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । दोनों पक्ष सीमा प्रश्न को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श से हल करेंगें । दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी तरीके से दूसरे के विरूद्ध बल प्रयोग की धमकी नहीं देगा । सीमा प्रश्न के अंतिम हल से चीन और भारत के बीच अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ।

अनुच्छेद-दो

दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के अनुसार सीमा प्रश्न के हल के लिए समानता,समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिदृश्य से आगे बढ़ते हुए स्पष्ट, उपयुक्त और आपसी रूप से स्वीकार्य हल खोजना चाहिए ।

अनुच्छेद-तीन

दोनों पक्षों को आपसी सम्मान की भावना, आपसी समझबूझ से, सीमा प्रश्न पर अर्थपूर्ण और अपनी-अपनी स्थितियों के अनुसार आपसी रूप से स्वीकार्य व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सीमा प्रश्न के समाधान पर पहुंचा जा सके । चीन-भारत सीमा के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए सीमा निर्धारण स्थायी होना चाहिए ।

अनुच्छेद-चार

दोनों पक्ष, एक दूसरे के सामरिक और न्यायोचित हितों और आपसी और समान सुरक्षा के सिद्धांतों को उचित महत्व देंगे ।

अनुच्छेद-पांच

दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ एक दूसरे के ऐतिहासिक साक्ष्य, राष्ट्रीय भावनाओं, व्यावहारिक कठिनाइयों और उपयुक्त चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखेंगे ।

अनुच्छेद-छह

सीमा, सुपरिभाषित और दोनों पक्षों के बीच आपसी रूप से सहमत आसानी से पहचाने जाने वाले प्राकृतिक भौगोलिक आकृतियों वाली होनी चाहिए ।

अनुच्छेद-सात

सीमा निर्धारण करते समय दोनों पक्ष, सीमा क्षेत्रों में रह रहे लोगों के अपेक्षित हितों का ध्यान रखेंगे ।

अनुच्छेद-आठ

सीमा का अंतिम निर्धारण सहमत रूपरेखा के अनुसार,सीमा का सीमांकन आधुनिक कार्टोग्राफिक और सर्वेक्षण कार्यों और संयुक्त सर्वेक्षणों जैसे तरीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा ।

अनुच्छेद-नौ

सीमा प्रश्न का स्थायी समाधान होने तक सीमा क्षेत्रों में अमन चैन बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा को कड़ाई से मानेंगे और उसका पालन करेंगे । चीन-भारत संयुक्त कार्यदल और चीन-भारत राजनयिक और सैन्य विशेषज्ञ दल, वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और विश्वासोत्पादक उपायों के कार्यान्वयन सहित 7 सितंबर,1993 और 29 नवंबर,1996 के करारों के अंतर्गत अपना काम करना जारी रखेंगे ।

अनुच्छेद-दस

सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि सीमा निर्धारण के लिए सहमत रूपरेखा पर पहुंचने के उद्देश्य, से उत्साहपूर्वक तरीके से अपनी वार्ताएं जारी रखेंगे, जिससे बाद में दोनों पक्षों के सिविल और सैन्य अधिकारियों और सर्वेक्षकों को चीन-भारत सीमा के सीमांकन और निशानदेही करने का आधार मिलेगा ।

अनुच्छेद-ग्यारह

यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू हो जाएगा और दोनों पक्षों के बीच लिखित आपसी समझौते द्वारा इसमें संशोधन और समावेश किया जाएगा ।

नई दिल्ली में वर्ष 2005 के अप्रैल माह के 11वें दिन, चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के दो-दो पाठों में संपन्न,सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

चीन लोक गणराज्य की सरकार
की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से